**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,**

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/2686/III/15

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि. 19/8/15 को प्रस्तुत

19/8/15

1. अल्लू शाह पुत्र चम्मी शाह,
2. अजमत शाह पुत्र अल्लू शाह,
3. इस्लाम शाह पुत्र अल्लू शाह,
4. वकील शाह पुत्र अल्लू शाह,

निवासीगण बरखाडी, अमरपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी म0प्र0

--- आवेदकगण

बनाम

हबीब शाह पुत्र श्री रमजान शाह, निवासी नरवर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी म0प्र0

--- अनावेदक

**<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.03.2015 पारित न्याया तहसीलदार तहसील नरवर, जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 24/2013-14/अ-70</u>**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यहकि, बहादुर शाह एवं चम्मी शाह सगे भाई थे। बहादुर शाह के कोई सन्तान नहीं थी तथा चम्मी शाह के दो पुत्रगण प्रार्थी एवं प्रार्थी के बड़े भाई इमाम शाह है। मुस. जुम्मोबाई आवेदक के ताऊ बहादुर शाह की विधवा पत्नी है। ग्राम नरवर में नरवर नगर के माधों चौक के पास धुबाई तकिया पर नरवर के चोदह महादेव एवं नरवर करैरा बाईपास तिराहे पर आराजी क्रमांक 1148 एवं 1149 कुल किता-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2686–तीन/2015 जिला शिवपुरी

अल्लू शाह आदि विरूद्ध हबीब शाह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01–10–2015 | आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 24/2013–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 13–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं धारा 5 के आवेदन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।<br>2/ प्रकरण में संलग्न तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–3–15 को प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को 1000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–3–2015 के आदेश की सत्यापित प्रति पर आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिनांक 17–3–2015 को आदेश नोट किया है तथा हस्ताक्षर किये हैं। आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 13–3–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19–8–2015 को लगभग तीन माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसका कारण मात्र आवेदकगण का अशिक्षित एवं कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ होना बताया है। आवेदक द्वारा दिन–प्रतिदिन | |

विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है। ऐसी स्थिति में निगरानी समयबाधित इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इसके अतरिक्त तहसीलदार 1000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आवेदक को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। केवल ग्राम पटवारी को बेदखल रिपोर्ट पेश करने हेतु पेशी नियत की है। तहसीलदार का आदेश अंतिम स्वरूप का है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु आवेदक द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी समयबाधित एवं अपील योग्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य